



Neutral Citation No. - 2026:AHC:23699-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 16828/2025

चंदीप शर्मा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: कविंद्र सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: ए.एस.जी.आई., शिव कुमार पाल (डी.एस.जी.)

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति

1. यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद पीठ, इलाहाबाद ('अधिकरण') द्वारा मूल आवेदन ('ओ.ए.') संख्या 610/2015 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2025 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा आदेश दिनांक 23.02.2015 और 15.01.2015 के विरुद्ध दायर ओ.ए. को खारिज कर दिया गया है।
2. ओ.ए. इन तर्कों के साथ दायर किया गया था कि याचिकाकर्ता को शुरू में 26.02.1976 को नैमित्तिक श्रमिक (कैजुअल लेबर) के रूप में नियुक्त किया गया था और 01.01.1981 को खलासी का अस्थायी दर्जा दिया गया था, उसके पश्चात स्क्रीनिंग और 21.1.1983 को परिणाम प्रकाशन के बाद, याचिकाकर्ता का धारणाधिकार (लियन) खलासी के रूप में तय किया गया था। 1992 में, याचिकाकर्ता को उत्तर पूर्व रेलवे, लखनऊ से कार्यमुक्त किया गया और वह उत्तर पूर्व रेलवे, वाराणसी में शामिल हो गया। याचिकाकर्ता ने एक प्रत्यावेदन दिया कि यदि वाराणसी में खलासी का पद रिक्त नहीं है तो उसे वापस लखनऊ भेज दिया जाए, हालांकि, वाराणसी में अधिकारियों द्वारा उसका धारणाधिकार बदल दिया गया और वह वाराणसी में ट्रॉलीमैन के रूप में शामिल हो गया। इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने अन्यो के साथ, केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर ('सी.जी.आई.टी.') के समक्ष औद्योगिक विवाद दायर किया, जिसे सी.जी.आई.टी. द्वारा 12.10.2011 को याचिकाकर्ता के पक्ष में तय किया गया था। पदोन्नति की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदनों को आक्षेपित आदेश दिनांक

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



23.02.2015 और 15.01.2015 द्वारा खारिज कर दिया गया था। व्यथित होकर, ओ.ए. दायर किया गया था।

3. प्रत्यर्थियों द्वारा जवाब दाखिल किया गया, जिसमें यह इंगित किया गया था कि सी.जी.आई.टी. के निर्देशों के अनुपालन में याचिकाकर्ता का धारणाधिकार खलासी की वरिष्ठता सूची में बनाए रखा गया था और उसे ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया गया था क्योंकि याचिकाकर्ता से कनिष्ठ (जूनियर) व्यक्तियों को निर्धारित ट्रेड टेस्ट पास करने के बाद पहले ही पदोन्नत किया जा चुका था, हालांकि, चूंकि याचिकाकर्ता ट्रेड टेस्ट में उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उसे पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया। पंचाट (अवार्ड) दिनांक 12.12.2011 के निष्पादन के लिए रिट याचिका संख्या 62578/2013 दायर की गई थी, जिसे 18.11.2013 को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया गया कि सी.जी.आई.टी. उचित आदेश पारित करे, जिस पर दिनांक 18.07.2014 को आदेश पारित किया गया था, जिस तथ्य को याचिकाकर्ता द्वारा छिपाया गया था। ओ.ए. में किए गए कथनों को दोहराते हुए प्रत्युत्तर दाखिल किया गया था।
4. अधिकरण ने, पक्षों को सुनने के बाद, पाया कि निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता का धारणाधिकार खलासी की वरिष्ठता सूची में बनाए रखा गया था और उसे ट्रेड टेस्ट में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया था, जो 20.01.2013 को आयोजित किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता ने स्वयं उपस्थित न होने का विकल्प चुना और इस तरह उसे पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया। उक्त पहलू की जानकारी उसे आदेश दिनांक 15.01.2015 और 23.02.2015 द्वारा दी गई थी।
5. अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि चूंकि याचिकाकर्ता ट्रेड टेस्ट में उपस्थित नहीं हुआ था, जो पदोन्नति के लिए अनिवार्य योग्यता थी, उसे पदोन्नति के लाभ से सही ढंग से वंचित किया गया और आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं है। अधिकरण ने यह भी संज्ञान लिया कि याचिकाकर्ता पहले ही सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका था और इस तरह, 'पश्चिम बंगाल सरकार एवं अन्य बनाम डॉ. अमल सत्पथी एवं अन्य : 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3512' के निर्णय पर भरोसा करते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि सेवानिवृत्ति के बाद पूर्वव्यापी पदोन्नति नहीं दी जा सकती है और परिणामस्वरूप, ओ.ए. को खारिज कर दिया।
6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिकरण ओ.ए. को खारिज करने में न्यायोचित नहीं था क्योंकि याचिकाकर्ता को ग्रेड पे 1900 वाले सिग्नेल मॅटेनर ग्रेड III के ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया गया था, हालांकि, 2010 से उसे 2000 रुपये का ग्रेड पे मिल रहा था, इसलिए उसने 20.01.2013 को आयोजित होने वाले ट्रेड टेस्ट में उपस्थित होने से इनकार कर दिया और इसलिए, चूंकि इनकार न्यायोचित था, इसे पदोन्नति से इनकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता था।
7. विद्वान डी.एस.जी. ने आदेश का समर्थन किया।
8. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है।
9. प्रत्यर्थियों द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01.2015 पर एक सरसरी नज़र डालने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को उसे पदोन्नति प्रदान करने के उद्देश्य से 'प्रथम चरण' के रूप में ट्रेड टेस्ट के लिए उपस्थित होना आवश्यक था, जैसा कि उसके कनिष्ठों को प्रदान किया गया था, हालांकि, प्रथम चरण के लिए ही जब याचिकाकर्ता ट्रेड टेस्ट के लिए उपस्थित नहीं हुआ, तो स्वाभाविक रूप से उसके बाद के चरण नहीं आए, जिसके लिए याचिकाकर्ता संभवतः कोई शिकायत नहीं कर सकता।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. जहाँ तक ट्रेड टेस्ट में उपस्थित न होने के लिए दिए गए कारण का प्रश्न है, केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता को 2000 रुपये का ग्रेड पे मिल रहा था, जैसा कि दावा किया गया है, वह केवल इस तथ्य के कारण ट्रेड टेस्ट में उपस्थित होने से इनकार नहीं कर सकता था कि ट्रेड टेस्ट उस पद के लिए आयोजित किया जा रहा था जिसका ग्रेड पे कम था, क्योंकि जैसा कि इंगित किया गया है, वही आगे की पदोन्नति की दिशा में पहला कदम था और चूंकि याचिकाकर्ता ने पहले चरण को पार नहीं किया, इसलिए बेहतर ग्रेड पे (पदोन्नति) के साथ उच्च पद प्राप्त करने के दावे को याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं किया जा सकता था और इस प्रकार, चूंकि ट्रेड टेस्ट में उपस्थित होने से इनकार करने का आधार निराधार है, याचिका में स्पष्ट रूप से कोई दम नहीं है।
11. एक हल्का तर्क दिया गया था कि यदि याचिकाकर्ता पदोन्नति के लिए पात्र नहीं था जैसा कि प्रत्यर्थियों द्वारा किया गया है, तो वह एम.ए.सी.पी. (MACP) पाने का हकदार था क्योंकि याचिकाकर्ता को उसके पूरे कार्यकाल के दौरान कोई पदोन्नति प्रदान नहीं की गई थी।
12. ओ.ए. के अवलोकन से पता चलता है कि याचिका में बिना किसी सामग्री/आगे के दावे के केवल एक पंक्ति का आधार उठाया गया था, जिसे प्रत्यर्थियों द्वारा विधिवत नकारा गया था और प्रत्युत्तर में फिर से एम.ए.सी.पी. से इनकार के संबंध में पूरी तरह से सतही संकेत दिया गया था। उस स्थिति में, किसी भी अभिवचन/सामग्री के अभाव में और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पूरी तरह से सतही दावे किए गए हैं और स्पष्ट रूप से अधिकरण के समक्ष कोई तर्क नहीं दिया गया है, क्योंकि आदेश इस संबंध में उठाए गए किसी भी तर्क को इंगित नहीं करता है, हमें अधिकरण द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिलती है।
13. परिणामस्वरूप, हमें अधिकरण द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। याचिका में कोई सार नहीं है, अतः इसे खारिज किया जाता है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

फरवरी 3, 2026

मुकेश पाल

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"